सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/ATY-3287/MH/44/2025-RU-I **दिनांक: 06.05.2026**

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-छत्रपति संभाजीनगर,
कलेक्टर कार्यालय,
छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र -431001
ई-मेल: collector.chsambhajinagar@maharashtra.gov.in

विषय: आदिवासी भूमि पर गैर-आदिवासियों द्वारा अवैध कब्जा, मारपीट, धमकी तथा प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किए जाने के संबंध में श्री मंजित नामदेव गायकवाड, अध्यक्ष, एकलव्य संघटना महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त 03 शिकायतों के संबंध में।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 02.12.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 18.05.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मंजित नामदेव गायकवाड,
अध्यक्ष, एकलव्य संघटना महाराष्ट्र राज्य,
मुक्काम व पोस्ट-पाटोदा,
तालुका व जिला- संभाजीनगर, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: **NCST/ATY-3287/MH/44/2025-RU-I** 	दिनांक: **02.12.2025**

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-छत्रपति संभाजीनगर,
कलेक्टर कार्यालय,
छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र -431001
ई-मेल: Collector.chsambhajinagar@maharashtra.gov.in

विषय: आदिवासी भूमि पर गैर-आदिवासियों द्वारा अवैध कब्जा, मारपीट, धमकी तथा प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किए जाने के संबंध में श्री मंजित नामदेव गायकवाड, अध्यक्ष, एकलव्य संघटना महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त 03 शिकायतों के संबंध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री मंजित नामदेव गायकवाड से दिनांक 19.11.2025** में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

Chetan 02.12.2025

12-2482-2615
9.12.2025

जारी ISSUED

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री मंजित नामदेव गायकवाड,
अध्यक्ष, एकलव्य संघटना महाराष्ट्र राज्य,
मुक्काम व पोस्ट-पाटोदा,
तालुका व जिला- संभाजीनगर, महाराष्ट्र

9/c